न्यायालय – पुलिस आयुक्त इंदौर
रानीसराय, रीगल स्क्वेयर, इंदौर (म.प्र.)
दूरभाष 0731–2525600 ईमेल – cp.indore@mppolice.gov.in

क्रमांक/पु.आ./इं/जिविशा/05 /2022 इन्दौर, दिनांक 19.01.2022

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

समाचार पत्रों एवं जनसामान्य आदि माध्यम से अवगत कराये गये अनुसार व सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि इंदौर नगर (मेट्रोपालिटन) की सीमा में विभिन्न राजनैतिक दल, धार्मिक संगठनों एवं अन्य सामाजिक संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन रैलियां एवं सभाएं आयोजित की जाती है। जिससे क्षेत्र का यातायात बाधित होता है तथा कानून व्यवस्थां बनाये रखने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः इंदौर नगर (मेट्रोपालिटन) की सीमा में विभिन्न राजनैतिक दल, धार्मिक संगठनों एवं अन्य सामाजिक संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन रैलियां एवं सभाओं पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर नगरीय सीमा में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

1. कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन/समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत् सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस आयोजन के किसी भी प्रकार (इलेक्ट्रानिक/प्रिंट/सोशल मीडिया/पोस्टर बैनर के माध्यम/अन्य कोई भी माध्यम से) से प्रचार–प्रसार को प्रतिबंधित किया जाता है ।

2. सभी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र नियमों के विपरीत धारण करना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा। माननीय न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

3. किसी भी प्रकार के कट–आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल(निजी एवं सार्वजनिक स्थलों) पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा।

4. किसी भी भवन/संपत्ति (सार्वजनिक अथवा निजी) पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित होगा।

Scanned with CamScanner

5. म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.जे. लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगा।

चूंकि उक्त आदेश को जन साधारण की सुविधा के सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। समय अभाव के कारण यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो, दिनांक 17 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रांकित कर जारी किया गया है।

(हरिनारायणाचारी मिश्र)
पुलिस आयुक्त,
इंदौर,

क्रमांक/पु.आ./इं/जिविशा/ 06 /2022 इन्दौर, दिनांक 19.01.2022

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
3. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (कानून व्यवस्था/ अपराध एवं मुख्यालय) इन्दौर।
4. जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर।
5. समस्त पुलिस उपायुक्त इन्दौर।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर।
7. समस्त अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर।
8 समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इन्दौर।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कनाड़िया, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, भिचौली हप्सी इन्दौर।
10 समस्त सहायक पुलिस आयुक्त इंदौर।
11. समस्त थाना प्रभारी, नगरीय पुलिस जिला इंदौर। प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का प्रचार–प्रसार करने तथा कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित।
12. उप संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु।
13. निदेशक आकाशवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु।
14. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन साईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
15. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम इन्दौर।

(हरिनारायणाचारी मिश्र)
पुलिस आयुक्त,
इंदौर,

Scanned with CamScanner